न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—24 / 2024 (2024 / 397)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सोनी ी ग्राम पोस्ट सतलाना तहसील जिला जोधपुर।		सरपंच जरिये ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –
1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी ।
2. रेस्पोडेन्ट् की और से कोई उपस्थिन नहीं।

आदेश

दिनांक :– 06-5-2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख ा खरीदसुदा कब्जा सुदा हक सुदा कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 303 / 14 रकबा 0.4278 हैक्टयर जो र्व में कमला देवी पत्नि पीराराम वगैरा को से कमला देवी का 575 / 1057 हिस्सा में से जिसका चाननामा दिनांक 04.11.2020 को उप पंजीयक लूणी द्वारा पंजीबद्व किया गया है, उक्त पंजीबद्व चाननामे के आधार पर हल्का पटवारी धुन्धाडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 219 ग्राम रामगढ को स्वीकृत हेतु सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाडा को प्रेषित किया गया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा मौके पर कब्जा बेचानकर्ता का होना एवं रजिस्ट्री में दिशा अलग होने का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 05.02.2024 को खारिज कर दिया। उक्त पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 से आहत होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्ट्रर्ड बेचाननामें की विगत में स्पष्ट रूप से केता को वक्त बैचान कब्जा सुपुर्दगी का उल्लेख एवं पड़ौस दिशा सहित अंकित होने के बावजूद मात्र राजनैतिक प्रतिद्वन्दता के कारण नामान्तकरण संख्या 219 ग्राम रामगढ दिनांक 05.02.2024 को खारीज कर दिया। उक्त आदेश को खारिज कर नामान्तकरण संख्या 219 को स्वीकार किये जाने का आदेश दिया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट् को रजिस्टररर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। जिसकी रसीद एवं ट्रेकिगं रिपोर्ट अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई।

रेस्पोडेन्ट को अपील जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इनका जवाब बन्द कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपीलाधीन नामान्तकरण की अमल दरामदगी ऑन लाईन की गई जिसकी कई बार जानकारी करने पर बताया गया कि प्रकियाधीन है, लेकिन जब दिनांक 03.09.2024 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 219 की नकल ली तो पता चला कि यह नामान्तरकरण 05.02.2024 को ही खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ग्रामीण एवं कम पढा लिखा होने से नकल लेने में विलम्ब हुआ, जिसे न्यायहित व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना में विलम्ब को क्षमा करते हुए डिले कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि म्यूटेशन करने से पूर्व नियमानुसार सभी प्रभावित पक्षकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है जो प्रस्तुत अपील में नही दिया गया, इसलिये म्याद की गणना अपीलान्ट की प्रथम जानकारी से करना उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत अपील में मेरिट्स के आधार पर सुदृढ रूप से खड़ी हो तो प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसलिये अपीलान्ट की अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

जहां गुणावगुण का प्रश्न है कि अपीलान्ट ने ग्राम रामगढ के खसरा नम्बर 303/14 रकबा 0.4278 हैक्टयर में से 400/1057 हिस्सा भूमि खरीद की, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नही हुआ व मौके पर अपीलान्ट का ही कब्जा प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्टस् ने मात्र कब्जा नहीं होने एवं बैचाननामें में पड़ौस सही नहीं होने का उल्लेख कर अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज कर दिया, जो कतही उचित प्रतीत नही होता है। अपील के तथ्य भी अखण्डनीय होने से स्वीकार योग्य प्रतीत होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत रेकर्ड के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा के ग्राम रामगढ का नामान्तरकरण संख्या 219 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को ग्राम रामगढ ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा का नामान्तकरण संख्या 219 स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 06-5-25 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी